

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र.0034/अ-6अ/2020-21

शिवपुरी दिनांक 21.12.2020




रामनिवास रावत पुत्र लट्टू रावत
निवासी ग्राम बाघोदा
तहसील बैराठ जिला शिवपुरी--आवेदक
वनाम
मध्यप्रदेश शासन

:: इशतहार ::

सर्व साधारण जनता ग्राम बाघोदा तहसील बैराठ जिला शिवपुरी को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामनिवास रावत पुत्र लट्टू रावत निवासी बाघोदा का ग्राम बाघोदा की भूमि सर्वे नंबर 281 रकवा 0.50 हैक्टर के खसरा में शासकीय दर्ज होने से संहिता की धारा 115 के तहत दुरुस्त कर खसरे में नाम इन्द्राज कराने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक 05.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजरने के उपरांत की गई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी ।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 21.12.2020

पृ.क्रमांक/रीडर-1/2020/ 563

प्रतिलिपि:-

- 1- एक प्रति ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो।
- 2- एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 3- एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 4- जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.